कार्यालय जिला पंचायत, सम्भल

पत्रांक 733 /जि0पं0/कृषि भूमि/2017–18 दिनांक 21/02/2018

विज्ञप्ति/नीलाम–सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत,सम्भल के क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्डवार **कृषिभूमियो/नखासा रीठ** की नीलामी आगामी वर्षो (दिनांक 01.06.2018 से दिनांक 31.05.2021 तक) के लिए ठेके पर देने के लिए दिनांक 15.03.2018 को समय दोपहर 12.00 बजे कार्यालय जिला पंचायत सम्भल के सभागार (निकट बहजोई पब्लिक स्कूल बहजोई) में की जायेगी। बोलीदाता को कृषिभूमि की बोली बोलने से पूर्व अकंन रू0 10000.00 एंव नखासा रीठ की नीलामी हेतु अंकन 100000.00 रूपये जमानत के रूप मे जमा करने होगे। बोली समाप्ति के बाद बोली को समस्त धन जमा करना अनिवार्य होगा। नीलामी मे जिला पचांयत के पदाधिकारी/सदस्य/अधिकारी/कर्मचारी व उनके सम्बन्धी एंव जिला पचांयत के बकायेदार भाग नही ले सकेगे। स्वीकृति के बाद निर्धारित दर के अनुसार ठेके मे स्टाम्प पत्र प्रस्तुत करने होगे। उपरोक्त तिथि मे जिन **कृषिभूमियो/नखासा रीठ** की नीलामी नही हो पायेगी तो उन्हे पुनः प्रत्येक सप्ताह के वृहस्पतिवार को उक्त स्थान व समय पर नीलाम किया जायेगा जो निम्न प्रकार है। **नीलाम समिति आवश्यक समझे तो जमानत राशि को कम/अधिक करने का अधिकार निहित होगा।**

वि0ख0 का नाम	कृषि भूमियो का नाम
सम्भल	प्र0पा0ततारपुर, जू0हा0स्कूलगुलालपुर, जू0हा0स्कूलमुवारकपुर, प्र0पा0भवानीपुर, प्र0पा0 रूस्तमपुर नियावली
बहजोई	प्र0पा0 वेहटा जय सिंह,प्र0पा0 वाहपुर पटटी
असमौली	प्र0पा0अशरफपुर,प्र0पा0खासपुर,प्र0पा0बेला,प्रा0पा0सैधंरी,प्र0गुमसानी,प्र0पा0पेली, प्र0पा0भटपुरा
रजपुरा	प्र0पा0पवसरा,प्र0पा0न्यौरा,प्र0पा0व्यौरा,जू0हा0स्कूल रोरादीप,प्र0पा0 रारादीप
गुन्नौर	प्र0पा0गुन्नौर
जुनावई	प्र0पा0 दवथरा,
बिलारी अ0	प्र0पा0मल्हपुर भवानी,प्र0पा0रीठ,प्र0पा0 गुरसरी,जू0हा0स्कूल कुढठफत्तेहगढ
बिलारी	नखासा रीठ

ह0 अपर मुख्य अधिकारी
जिला पचायत,सम्भल

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–नाजिर कलैक्टेट सम्भल को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

2–नाजिर, जिला पचांयत सम्भल को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

3–श्री अफजाल अहमद एवं श्री जय कुमार सिंह कर निरीक्षक जिला पचायत,सम्भल को इस निर्देश के साथ कि व्यापक प्रचार–प्रसार एंव मुनादी कराकर ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित मुनादी रसीद कार्यालय में प्रस्तुत करें।

4–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सम्भल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जनपद की बेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

5.विज्ञापन व्यवस्थापक दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला/दैनिक जागरण सम्भल को इस आशय से कि उपरोक्त विज्ञप्ति अपने समाचार पत्र मे न्यूनतम स्थान एंव लघुतम अक्षरों में एक बार शासकीय दरो पर प्रकाशित कराने के साथ ही बिल दो प्रतियो मे कार्यालय मे उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

ह0 अपर मुख्य अधिकारी
जिला पचायत,सम्भल

कार्यालय जिला पंचायत, सम्भल।

पत्रांक 734 / जि0पं0 / ला0–अनु0 / 2017–18 दिनांक 21 / 02 / 2018

अस्थि चर्म सार्वजनिक नीलाम सूचना वर्ष 2018–19

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत, सम्भल द्वारा वर्ष 2018–19 (दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक) की अवधि के लिए जनपद सम्भल की समस्त न्याय पंचायतें / क्षेत्र पंचायत वार मृत पशु शव निस्तारण एवं भण्डारण तथा व्यापार करने का ठेका / लाईसेन्स शासनादेश संख्या 858 / 33–2–96–57–डब्लू / 91 दिनांक 30.03.1996 व शासनादेश संख्या 477वी / 33–2–92– 57डब्लू / 91 दिनांक 03.08.1992, शासनादेश संख्या 6375 / 33–2–96–57डब्लू / 91 दिनांक 28.02.1997 एवं शासनादेश संख्या 2127 / 33–2–2000–57डब्लू दिनांक 28.04.2000 के अनुसार रायल्टी पर खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा पंजीकृत मृत पशु शवच्छेदन सहकारी समितियों को दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद सम्भल के समस्त पंजीकृत मृत पशु शवच्छेदन सहकारी समितियों को उनके सभापतियों के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 14.03.2018 तक अपनी समिति से सम्बन्धित समस्त अभिलेख आदि व प्रमाण पत्र कार्यालय जिला पंचायत, सम्भल में अवश्य जमा कर दें। प्रस्तुत किये गये अभिलेखों की जॉच दिनांक 20.03.2018 तक की जायेगी तथा रायल्टी जमा करने की तिथि 24.03.2018 तक निर्धारित की गयी है। यदि कोई समिति नियत तिथि तक अभिलेख एवं रायल्टी धनराशि जमा नहीं करती है तो यह समझा जायेगा कि वह लाईसेन्स / ठेका लेने के लिए इच्छुक नहीं है तथा शासनादेशों के तहत अग्रिम कार्यवाही कर दी जायगी।

अतः समस्त पंजीकृत मृत पशु शव निस्तारण सहकारी समितियों को सूचित किया जाता है कि समिति को खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा निर्धारित कार्य क्षेत्र का लाईसेन्स / ठेका लेना अनिवार्य होगा। यदि कोई समिति जिला पंचायत की बकायेदार है तो बकाया धनराशि जमा करने के उपरान्त ही वर्ष 2018–19 का लाईसेन्स / ठेका दिये जाने पर विचार किया जायगा। समितियों के अभाव में अथवा उनके द्वारा लाईसेन्स / ठेका न लेने की दशा में इस पेशे में पैतृक रूप से जुड़े व्यक्तियों के मध्य नीलामी की कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिये प्रति न्याय पंचायत 5000 / – रूपया जमानत राशि जमा करनी होगी। पैतृक रूप से पेशेवर व्यक्तियों को नीलाम कमेटी के समक्ष अपने प्रार्थना–पत्र के साथ ग्राम प्रधान तथा क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा प्रदत्त पैतृक पेशे सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रार्थना–पत्र के साथ हाल ही के खिचे हुए दो पासपोर्ट साईज के फोटोग्राफ संलग्न करने होंगे। **बकायेदार को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा**, अन्य शर्तें कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती हैं।

क्र0सं.	विकास खण्ड का नाम	नीलाम दिनांक व समय	नीलाम स्थान
01	सम्भल, असमौली, पंवासा, बहजोई, विलारी आंशिक	26.03.2018 12:30 बजे	सभागार जिला पंचायत, सम्भल
02	बनियाखेड़ा, गुन्नौर, रजपुरा, जुनावई	28.03.2018 12:30 बजे	

नोटः– **उक्त तिथियों में नीलाम न होने की दशा में नीलामी प्रत्येक बुद्धवार को की जायेगी।**

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, सम्भल।

पत्र संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ / अवलोकनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत, सम्भल।

2– जिलाधिकारी महोदय, सम्भल।

3– मुख्य विकास अधिकारी, सम्भल।

4— पुलिस अधीक्षक, सम्भल।

5— समस्त उप जिलाधिकारी, सम्भल।

6— जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, सम्भल।

7— समस्त पंजीकृत सहकारी समितियों के सभापति, जनपद सम्भल।

8— समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद सम्भल को कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

9— समस्त कर निरीक्षक/सहायक राजस्व निरीक्षक, जिला पंचायत, सम्भल को इस निर्देश के साथ कि समितियों के सभापतियों से सम्पर्क कर सूचना की एक प्रति उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

10— नीलाम कमेटी, (कर अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता, अपर मुख्य अधिकारी) जिला पंचायत, सम्भल के समस्त सदस्यों को नीलामी के समय उपस्थित रहने हेतु।

11— कार्यालय जिला पंचायत/नाजिर कलैक्ट्रेट, सम्भल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

12— जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, सम्भल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को जनपद की वेवसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

13— विज्ञापन व्यवस्थापक, दैनिक समाचार पत्र **"अमर उजाला"** एवं **"हिन्दुस्तान"** जनपद सम्भल को इस आशय से कि वह उपरोक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन शासकीय दर पर (सम्भल अंक) न्यूनतम स्थान प्रिन्ट एवं लघुतम अक्षरों में करायें तथा प्रकाशनोपरान्त बिल दो प्रतियों में कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, सम्भल।